भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 177

उत्तर देने की तारीखः 03.02.2020

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां

†177. डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटीलः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षकों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार वास्तविक संख्या और कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की और भर्ती किए गए शिक्षकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों, पीजीटी/टीजीटी शिक्षकों/प्रयोगशाला सहायकों सहित शिक्षकों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/प्रस्तावित कदम क्या हैं;

(ङ) क्या शिक्षण स्टाफ की कमी स्कूलों में शिक्षण मानकों को प्रभावित कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इन रिक्तियों को भरने और विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) ने सूचित किया है कि दिनांक 15.11.2019 तक देश में विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में 48236 संस्वीकृत पदों की तुलना में 5949 शिक्षण पद रिक्त पड़े हैं। इनका राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) : पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई कुल भर्ती (एससी/एसटी अभ्यर्थियों सहित) का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	**की गई भर्तियों की कुल संख्या (प्रधानाचार्यों, उप-प्रधानाचार्यों और पुस्तकालयध्यक्षों सहित)**	**श्रेणी-वार भर्ती**	
		एससी	**एसटी**
2017	6255	918	459
2018	760	113	70
2019	8420	1238	608

अस्थायी रूप से, वर्ष 2020 के दौरान शिक्षण स्टाफ की 5206 रिक्तियों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है, जिनमें से 779 और 387 रिक्तियों को क्रमश: एससी और एसटी के लिए चिन्हित किया गया है।

(ग) : प्रधानाचार्यों, पीजीटी, टीजीटी और लैब सहायकों सहित शिक्षण पदों की रिक्तियों का श्रेणीवार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(घ) से (च) : रिक्तियों को भरना एक सतत प्रक्रिया है और संगत भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार, समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। चूंकि रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में पदोन्नति, सीमित विभागीय परीक्षा, सीधी भर्ती आदि जैसे अनेक तरीके शामिल हैं और इसमें समय लगता है, अभी रिक्त पदों को भरने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

केवीएस द्वारा अस्थायी अवधि के लिए संविदात्मक आधार पर भी शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में कोई बाधा न हो। केवीएस सहित स्वायत्त संगठनों को उनकी रिक्तियों की समीक्षा करने और विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई करने हेतु समय-समय पर निर्देश भी जारी किए गए हैं।

*****

अनुबंध

'केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां' के संबंध में डॉ. सुभाष रामराव भामरे, डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री श्रीनिवास दादासाहिब पाटील, श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस., श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे और श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा दिनांक 03.02.2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 177 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

देश में केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षण स्टाफ (प्रधानाचार्यों, पीजीटी, टीजीटी और लैब सहायक सहित) की रिक्ति का राज्य/संघराज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा (15.11.2019 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षत्रों के नाम	शिक्षण स्टाफ की वास्तविक स्थिति	रिक्त शिक्षण स्टाफ की संख्या	पद-वार रिक्तियां			
				प्रधानाचार्य	पीजीटी	टीजीटी	लैब सहायक
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	101	11	0	3	2	0
2	आंध्र प्रदेश	973	200	4	25	74	0
3	अरुणाचल प्रदेश	354	89	3	19	25	0
4	असम	1660	367	6	104	85	0
5	बिहार	1625	200	8	27	59	0
6	चंडीगढ़	293	14	0	3	5	0
7	छत्तीसगढ़	981	224	5	33	65	0
8	दादर और नगर हवेली	34	5	0	1	2	0
9	दमन और दीव	19	4	1	1	1	0
10	दिल्ली	3618	137	0	21	73	0
11	गोवा	164	38	1	8	11	0
12	गुजरात	1379	179	5	25	65	0
13	हरियाणा	1171	75	0	8	34	0
14	हिमाचल प्रदेश	591	89	5	11	20	0
15	जम्मू और कश्मीर	904	255	8	54	63	0
16	लद्दाख	19	11	1	4	1	0
17	झारखंड	1074	142	1	21	37	0
18	कर्नाटक	1722	260	9	15	107	0
19	केरल	1598	197	6	16	75	0
20	लक्षद्वीप	17	6	1	2	2	0
21	मध्य प्रदेश	3468	526	13	79	138	0
22	महाराष्ट्र	2423	322	5	49	122	0
23	मणिपुर	207	55	0	12	15	0
24	मेघालय	193	37	1	15	11	0
25	मिजोरम	69	26	1	4	12	0
26	नागालैंड	103	41	1	10	11	0
27	ओडिशा	1665	339	10	67	111	0
28	पुडुचेरी	122	29	1	4	8	0
29	पंजाब	1662	264	8	39	85	0
30	राजस्थान	2440	195	5	23	26	0
31	सिक्किम	41	13	1	3	5	0
32	तमिलनाडु	1634	293	9	47	110	0
33	तेलंगाना	1115	178	6	13	55	0
34	त्रिपुरा	213	49	2	11	15	0
35	उत्तर प्रदेश	5154	557	8	57	141	0

36	उत्तराखंड	1420	195	6	41	43	0
37	पश्चिम बंगाल	2061	327	12	68	97	0
कुल		**42287**	**5949**	**153**	**943**	**1811**	**0**

*****